संख्या-08 /2017-3779/नौ-5-2016-175बजट/2016/टी0सी0-1

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, हरिहरपुर (संत कबीर नगर)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना' के अन्तर्गत वित्तीय एव प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय झील/पोखर/तालाबसंरक्षण ' योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में नगर पंचायत हरिहरपुर (संत कबीर नगर) को संलग्न विवरण के अनुसार कुल **रू. 291.16 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में **कुल रू. 145.58 लाख (रू. एक करोड़ पैतालीस लाख अठावन हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0 9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0	कार्य का विवरण।	अनुमानित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्धारित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	इन्दिरा नगर तालाब का सौन्दर्यीकरण/ सुदृढ़ीकरण	181.76	172.60	86.30
2.	वार्ड नं0 3 राजेन्द्रनगर में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण/सुदृढ़ीकरण	124.80	118.56	59.28
	योग	**306.56**	**291.16**	**145.58**

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। परियोजना की शेष लागत का वहन निकाय द्वारा अपने आय के श्रोतों से किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्प्ले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
11. विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्यों में वृद्धि, एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
12. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-07-नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-08/2017-3779/नौ-5-2016-178बजट/2016/टी0सी0-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद ।
2- मण्डलायुक्त, बस्ती/इलाहाबाद ।
3- जिलाधिकारी, संत कबीर नगर ।
4- कोषाधिकारी संत कबीर नगर ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- अध्यक्ष, नगर पंचायत, हरिहरपुर (संत कबीर नगर)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

paras.GO

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	900000	14558	14558	14558	885442
योग	900000	14558	14558	14558	885442
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2217- शहरी विकास -80-सामान्य -193- नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता -07-नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना-35--पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	187500	202058	14558	14558	202058
योग	187500	202058	14558	14558	202058

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नगरीय सॉलिड वेस्ट योजना के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगरीय झील/पोखर/तालाब योजना हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-309-ई-8-3266/दस-2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।

सुभाष चन्द्र
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-08/2017-3779/नौ-5-2016-175बजट/2016/टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर ।
3- कोषाधिकारी, संतकबीरनगर ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अध्यक्ष /अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरिहरपुर, संतकबीरनगर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
9- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 08

आवंटन आदेश संख्या:- 001-08-2017-3779-9-5-2016-175B-16TC-1

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14558000 17058000	14558000 17058000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14558000 17058000	14558000 17058000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठावन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्तर लाख अट्ठावन हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी